



दिनांक: 09.07.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर पुलिस नाबालिग से दुष्कर्म के मुकदमें में वांछित

अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 03.07.2025 को वादिया की लिखित तहरीर पर बाबत अभियुक्त सलमान पुत्र मुमताज निवासी मौ० भवा सराय थाना कोतवाली नगर सहारनपुर के द्वारा दिनांक 02.07.2025 को वादिया की नाबालिग पुत्री को उसके घर से बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर मु०अ०स० 119/25 धारा 137(2) भारतीय न्याय संहिता पंजीकृत किया गया। कार्यवाही के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 65(1) बीएनएस व 3/4(2) पोक्सो अधिनियम की वृद्धि की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर घटना में शामिल अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में दिनांक 08.07.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **सलमान पुत्र मुमताज निवासी मौ० भवा सराय थाना कोतवाली नगर सहारनपुर** को मौ० भवा सराय में उसके घर से गिरफ्तार किया गया। विवेचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 65(1) बीएनएस व 3/4(2) पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सलमान पुत्र मुमताज निवासी मौ० भवासराय थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ०नि० राजकुमार गौतम थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
2. है०का० 380 आजाद थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
3. है०का० 1114 यतेन्द्र थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 09.07.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा 02 शांति अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से 02 अवैध चाकू बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, अवैध अस्लाह के कारोबार की रोकथाम व इन कारोबार में संलिप्त अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री रोजन्त त्यागी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 09.07. 2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा चैकिंग/गस्त के दौरान 02 अभियुक्त 1. शुभम पुत्र नेत्रपाल निवासी ग्राम फतेहपुर जह्द थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर, 2. अर्जुन कुमार पुत्र बिजेन्द्र निवासी ग्राम फतेहपुर जह्द थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर को शाकुम्बरी विहार के पास से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 02 अवैध चाकू बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 298/25 धारा 4/25 आर्मस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त ने एक स्वर में बताया कि हम दोनों आस पास के क्षेत्र के लोगो को डराने व अपनी सुरक्षा के लिये अपने पास रखते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

शुभम पुत्र नेत्रपाल निवासी ग्राम फतेहपुर जह्द थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
अर्जुन कुमार पुत्र बिजेन्द्र निवासी ग्राम फतेहपुर जह्द थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

➤ 02 अवैध चाकू

गिरफ्तार अभियुक्त शुभम का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 098/2024 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना सदर बाजार सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 753/24 धारा 323/324/504 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 रामकुमार गौतम थाना सदर बाजार सहारनपुर।
2. है0का0587 प्रदीप थाना सदर बाजार सहारनपुर
3. का077 अरुण थाना सदर बाजार सहारनपुर



-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अपराध की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री रोजन्त त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 09.07.2025 को थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा 02 वारंटी/अभियुक्तगण 1. **गुल मौहम्मद उर्फ कालू पुत्र जफर निवासी न्यू टैगोर गार्डन थाना सदर बाजार सहारनपुर** सम्बन्धित केस न0 1117/22 मु0अ0सं0 595/2021 धारा 380,411 भादवि सरकार बनाम इशितयाक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सहारनपुर, 2. **इशितयाक पुत्र अहमद लोन निवासी न्यू टैगोर गार्डन थाना सदर बाजार सहारनपुर** के केस न0 1117/2022 मु0अ0सं0 595/2021 धारा 380,411 भादवि सरकार बनाम इशितयाक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सहारनपुर को न्यू टैगोर गार्डन के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारण्टी का नाम व पता:-

1. गुल मौहम्मद उर्फ कालू पुत्र जफर निवासी न्यू टैगोर गार्डन थाना सदर बाजार सहारनपुर।
2. इशितयाक पुत्र अहमद लोन निवासी न्यू टैगोर गार्डन थाना सदर बाजार सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री सुन्दर सिंह थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 13 इकलाख थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
3. का0 51 नितिन कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 09.07.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार साइबर हेल्पडेस्क पुलिस टीम द्वारा साइबर फ्राड में ठगी गयी कुल 63867/- रुपये की शतप्रतिशत धनराशि पीडित के खाते में करायी गयी वापस

अवगत कराना है कि दिनांक 20.06.2025 को पीडित श्री गोकुल छावडा निवासी कमल कालौनी थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के साथ धोखाधड़ी करके वादी के कोटक महिन्द्रा बैंक के खाते से कुल 63867/- रुपये की धनराशि आनलाइन फ्राड के माध्यम से ठगी कर ले की सूचना पर थाना सदर बाजार साइबर हेल्पडेस्क टीम द्वारा शिकायत सं0- 23106250087851 पंजीकृत की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम व साइबर ठगी में ठगी गयी रकम को पीडितों के खाते में वापस कराये जाने हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर/नोडल अधिकारी एवं क्षेत्राधिकारी नगर (द्वितीय) के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक सदर बाजार श्री रोजन्त त्यागी के कुशल नेतृत्व में थाना सदर बाजार साइबर हेल्पडेस्क टीम द्वारा उपरोक्त में शिकायत में प्रभावी कार्यवाही करते हुए पीडित गोकुल छावडा उपरोक्त की धोखाधड़ी में ठगी गयी कुल 63867/- रुपये की शतप्रतिशत धन राशि पीडित के महिन्द्रा कोटेक बैंक खाते में वापस करायी गयी। पीडित द्वारा धोखाधड़ी में ठगी गयी शतप्रतिशत धनराशि वापस कराने पर सहारनपुर पुलिस का आभार प्रकट किया है।

धनराशि को वापस कराने वाली साइबर हेल्पडेस्क टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री रोजन्त त्यागी थाना सदर बाजार, सहारनपुर
2. निरीक्षक श्री संजीव कुमार थाना सदर बाजार, सहारनपुर
3. का0ऑ0 पुष्पेन्द्र कुमार थाना सदर बाजार, सहारनपुर
4. का0 2322 अजय कुमार यादव थाना सदर बाजार, सहारनपुर



दिनांक 09.07.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-14 जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को आर्म्स एक्ट के मामले में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 02 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः.

अवगत कराना है कि दिनांक 01.05.2022 को अभियुक्त कैलाश विक पुत्र गौरे विक निवासी आदर्श ग्राम पालिका जिला डोटी नेपाल के कब्जे से 01 देशी तमंचा /01 जिन्दा /01 खोखा कारतूस .315 बोर बरामद होने की सूचना पर मु0अ0सं0- 255/2022 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना सदर बाजार पर पंजीकृत कराया गया । उपरोक्त अभियोग एसटी नं0-1765/2022 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-14 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में OPERATION CONVICTION में चिन्हित मॉनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-14 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 09.07.2025 को अभियुक्त कैलाश विक पुत्र गौरे विक को मु0अ0सं0-255/2022 धारा - 3/25 आयुध अधिनियम का दोषी पाते हुए अभियुक्त को 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 02 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

शासकीय अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री मेघराज सैनी

विवेचक उ0नि0 श्री गम्भीर सिंह

पैरोकार का0 929 अंकित कुमार